उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

<u>आवश्यक दिशा निर्देश</u>

1– ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जिनके द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी कारणवश अन्तिम रूप से सबमिट नहीं किया जा सका है, उन्हें एक अन्तिम अवसर इस हेतु प्रदान किया जा रहा है। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा दिनांक 24.02.2020 से 28.02.2020 सायं 6 बजे तक निर्धारित वेबसाइट **http://upbasiceduparishad.gov.in/** पर जाकर पूर्व निर्धारित प्रकियानुसार "आवेदन पत्र भरे/प्रिन्ट लें" विकल्प का चुनाव करते हुए अपने आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से ओ0टी0पी0 के माध्यम से सबमिट (Final Lock) किया जायेगा।

2– आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.02.2020 सायं 6 बजे के बाद इस सम्बन्ध में किसी भी अध्यापक/अध्यापिका का प्रत्यावेदन/दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

3– आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट नहीं किये जाने पर उनके अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– ऐसे अध्यापकों द्वारा अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट किये जाने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित प्रकियानुसार काउन्सिलिंग/ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित तिथियों के मध्य पूर्ण करते हुए डाटा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से लॉक किया जायेगा।

5– समस्त आवेदन करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं से दावे/आपत्तियों की प्राप्ति एवं निस्तारण हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जा रहा है–

क– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)–	अध्यक्ष
ख– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–	सदस्य,
ग– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–	सदस्य।

6– स्थानान्तरण हेतु प्रयोग में लायी जा रही वेबसाइट पर दिनांक 18.03.2020 के अपरान्ह से अध्यापकों हेतु उनके आवेदन पत्र की स्थिति एवं गुणांक का प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें किसी त्रुटि की दशा में सम्बन्धित अध्यापक द्वारा अन्तर्जनपदीय/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अपना दावा/आपत्ति समुचित साक्ष्य के साथ **जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया** जायेगा।

7– अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा दावे/आपत्तियों को निर्धारित तिथि दिनांक 19.03.2020 से 26.03.2020 के मध्य अपने कार्यरत जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हार्डकॉपी में उपलब्ध कराया जायेगा।

8– जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अर्ह आवेदन पत्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन कर रिसेट किया जायेगा। रिसेट किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अध्यापक द्वारा अपने आवेदन में वांछित त्रुटियों को सही करते हुए अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से ओ0टी0पी0 के माध्यम से सबमिट किया जायेगा। **अन्तर्जनपदीय आवेदन हेतु अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन को ही रिसेट किया जायेगा, पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के अन्तर्गत मात्र रजिस्ट्रेशन किया गया है, पारस्परिक अन्तर्जनपदीय**

20/02/2020

Scanned with CamScanner

स्थानान्तरण के आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पत्र पूर्ण किया जाना शेष है, ऐसी स्थिति में इनके आवेदन पत्र को रिसेट नहीं किया जायेगा।

9– एकल माता–पिता (Single Parents) यथा– विधवा/विधुर/तलाकशुदा इत्यादि (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) हेतु 05 अंक भारांक की सुविधा प्रदान की गयी है।

एकल माता–पिता ऐसे अध्यापकों से सम्बन्धित है जो एकल माता–पिता की श्रेणी में आते है और उनकी संतान हो।

10– शासनादेश दिनांक 02.12.2019 में कुल 08 श्रेणियों में अध्यापक/अध्यापिकाओं हेतु भारांक की व्यवस्था की गयी है। कतिपय आवेदनकर्ता द्वारा किसी एक श्रेणी का त्रुटिपूर्ण रुप से चुनाव करते हुए आवेदन पत्र भरा गया है जिसके कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद स्तर पर दावे आपत्तियों की प्राप्ति एवं निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णयोंपरान्त अर्ह आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः रिसेट (अध्यापकों द्वारा वांछित संशोधन हेतु) कर दिया जायेगा। रिसेट किये गये आवेदन पत्र में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य वांछित संशोधन किया जा सकेगा। संशोधन किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अपना आवेदन पत्र ओ0टी0पी0 के माध्यम से अन्तिम रूप से सबमिट किया जायेगा। आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट न किये जाने पर उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

11– अध्यापकों द्वारा असाध्य/गम्भीर रोग के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्यों के सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02.12.2019 में उल्लिखित असाध्य रोग/गम्भीर बीमारी के सम्बन्ध में अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के जांच/सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित किये जाने पर जनपदीय समिति द्वारा उनके आवेदन पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जायेगा।

12– पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया में अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा प्रथम चरण में केवल रजिस्ट्रेशन किया गया है, काउन्सिलिंग के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिन अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन पत्र को निरस्त किया गया है। ऐसे अध्यापकों द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 14.03.2020 से 20.03.2020 तक कार्यालय समयावधि में अपना दावा समुचित साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

13– जनपदीय समिति के निर्णयोपरान्त किसी असत्यापित रजिस्ट्रेशन पत्र को सत्यापित किये जाने की संस्तुति के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक का रजिस्ट्रेशन पत्र 23.03.2020 से 27.03.2020 सायं 6 बजे तक सत्यापित किया जायेगा।

14– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णयोंपरान्त अर्ह पाये गये पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु रजिस्ट्रेशन पत्रों को सत्यापित करते हुए 30.03.2020 से 03.04.2020 सायं 6 बजे तक लॉक किया जायेगा।

15– पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु जिन अध्यापकों का रजिस्ट्रेशन अर्ह पाया गया है, उनके द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अपना आवेदन पत्र पूर्व में वेबसाइट पर प्रदर्शित दिशा निर्देश के अनुरूप दिनांक **04.04.2020 से 15.04.2020** सायं 6 बजे तक अनिवार्य रूप से ओ0टी0पी0 के माध्यम से लॉक किया जायेगा।

16– पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पूर्ण एवं लॉक किये जाने के सम्बन्ध में वेबसाइट पर पूर्व से उपलब्ध पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

9.
20/02/2020

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का पूर्ण सावधानी के साथ अवलोकन करने के उपरान्त ही आवेदन पूर्ण करें।

17– दोनो अध्यापकों द्वारा आपसी सहमति से आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट न किये जाने पर उनके पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निम्नवत समय सारिणी निर्धारित की जा रही है–

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया हेतु समय सारिणी

1	आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट (Final Lock) किया जाना	24.02.2020 से 28.02.2020 सायं 6 बजे तक
2	अन्तिम रूप से सबमिट आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित साक्ष्यों सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	28.02.2020 तक कार्यालय समयावधि में
3	असाध्य/गम्भीर रोग के प्रमाण पत्रों के गठित मेडिकल समिति द्वारा सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही	02.03.2020 से 06.03.2020 के मध्य
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु काउन्सिलिंग/ऑनलाइन सत्यापन की अन्तिम तिथि	12.03.2020 से 17.03.2020 के मध्य
5	वेबसाइट पर अध्यापकों के आवेदन की स्थिति एवं गुणांक का प्रदर्शन	18.03.2020 के अपरान्ह से
6	दावे/आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण **(सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में)**	19.03.2020 से 26.03.2020 तक
7	जनपदीय समिति के निर्णयोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक का डाटा रिसेट करते हुए अध्यापक/अध्यापिका हेतु संशोधन के लिए उपलब्ध कराया जाना	27.03.2020 से 31.03.2020 तक
8	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णयोंपरान्त अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्रों को सत्यापित करते हुए लॉक किया जाना	02.04.2020 से 07.04.2020 सायं 6 बजे तक
9	अन्तिम सूची का प्रकाशन	20.04.2020

पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया हेतु समय सारिणी

1	दावे/आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण	14.03.2020 से 20.03.2020 तक
2	जनपदीय समिति के निर्णयोपरान्त किसी असत्यापित रजिस्ट्रेशन पत्र को सत्यापित किये जाने की संस्तुति के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक का रजिस्ट्रेशन पत्र सत्यापित किया जाना	23.03.2020 से 27.03.2020 सायं 6 बजे तक
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णयोंपरान्त अन्तिम रूप से सबमिट किये गये रजिस्ट्रेशन पत्रों को सत्यापित करते हुए लॉक किया जाना	30.03.2020 से 03.04.2020 सायं 6 बजे तक
4	पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पूर्ण करने हेतु प्रारम्भ/अन्तिम तिथि	04.04.2020 से 15.04.2020 सायं 6 बजे तक
5	अन्तिम सूची का प्रकाशन	30.04.2020

ह॰ 24/02/2020

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश (दिनांक 02.03.2020)

1– बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20.02.2020 द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन पर निर्णय हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सम्बन्धित मण्डल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पर निर्णयोंपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के आवेदन को उनके द्वारा वांछित संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों के मध्य रिसेट किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– वेबसाइट **http://upbasiceduparishad.gov.in/** पर उपलब्ध दिशा निर्देश एवं समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर आवश्यक संशोधन एवं संशोधनोपरान्त आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से ओ0टी0पी0 के माध्यम से सबमिट किया जायेगा।

3– यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका का आवेदन पत्र समिति के निर्णयोंपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2020 से 31.03.2020 के मध्य रिसेट किया गया है एवं आवेदन पत्र रिसेट किये जाने के उपरान्त ऐसे आवेदन पत्र में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा दिनांक 27.03.2020 से 31.03.2020 के मध्य वांछित संशोधन किया गया है, ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से उन्हे अपना आवेदन पत्र ओ0टी0पी0 के माध्यम से दिनांक 27.03.2020 से 31.03.2020 के मध्य अन्तिम रूप से सबमिट किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– जनपद में समिति की बैठक की तिथि के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपत्ति दर्ज कराने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को सूचना पट्ट तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायेंगे जिससे सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो निर्धारित तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित हो सके।

5– यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में स्थानान्तरण चाहने के कारण (शासनादेश दिनांक 02.12.2019 के अनुसार– दिव्यांगता, असाध्य व गम्भीर बीमार, पति–पत्नी दोनो सरकारी सेवा में है, एकल माता–पिता, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक) के किसी विकल्प का त्रुटिवश चुनाव कर लिया गया है तथा अब वे इस विकल्प को हटाते हुए आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध कर रहे है, उनके प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णयोंपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य आवेदन पत्र को रिसेट किया जायेगा। आवेदन पत्र को रिसेट किये जाने के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा उस स्थानान्तरण चाहने के कारण के गलत विकल्प को हटाते हुए अपने आवेदन पत्र को ओ0टी0पी0 के माध्यम से अन्तिम रूप से सबमिट किया जायेगा। तदोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे सबमिट किये गये आवेदन पत्र को सत्यापित करते हुए पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार लॉक किया जायेगा।

6– अध्यापक/अध्यापिका द्वारा रजिस्ट्रेशन पत्र में भरे गये विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। स्थानान्तरण हेतु निर्धारित गुणवत्ता अंक के लिए निर्धारित मानक में संशोधन को स्वीकार किया जायेगा।

7– समिति के निर्णयोपरान्त सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त कार्यवाही बेसिक शिक्षा परिषद के परिपत्र दिनांक 20.02.2020 में निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप स्थानान्तरण हेतु प्रयोग में लायी जा रही वेबसाइट **upbasiceduparishad.gov.in** पर सम्पादित की जायेगी।